न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 1117–एक/13 विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 32/10–11/अ–13 में की जा रही कार्यवाही एवं जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 7–1–11.

अशोक कुमार सर्राफ पुत्र
श्री कुन्ज बिहारी सर्राफ
निवासी श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र. ----- आवेदक

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, श्योपुर
2– अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर ----- अनावेदकगण

श्री आर. डी. शर्मा, अधिवक्ता, आवेदक ।
श्री डी. के. शुक्ला, अधिवक्ता, अनावेदक ।

:: आदेश ::

(आज दिनांक २५ अप्रैल २०१५ को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण कमांक 32/10–11/अ–13 में की जा रही कार्यवाही एवं जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 7–1–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पटवारी ग्राम जैदा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को इस आशय का प्रतिवेदन पेश किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम पटवारी रिकार्ड में अंकित है । उपरोक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है । उक्त भूमि को खातेदार द्वारा भूखंड

के रूप में विक्रय किया जा रहा है, अतः रिर्पोट उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है । उक्त रिर्पोट पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक को आलोच्य कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक तथा लिखित बहस में मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र में दर्शाए गए आधार निराधार हैं । आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत व्यपवर्तन कराया है तथा नक्शा पास कराया है । कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण कराया है तथा अपेक्षित विकास कार्य जैसे रोड, पानी की टंकी, पाईप लाइन विद्युत, खेल का पैदा आदि के लिए भूमि आरक्षित की गई है ।

यह तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में कार्यवाही सन् 2011 से लगभग 2 वर्ष तक लंबित रही किंतु प्रकरण का निराकरण नहीं किया गया तब विवश होकर आवेदक को यह निगरानी प्रस्तुत करना पड़ी । अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयक में कार्यवाहियों 2 वर्ष तक लंबित रहने से आवेदक अपनी भूमि के उपभोग, उपयोग करने से अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रहा है । यह भ्झी तर्क किया गया है कि कालोनाईजर के रूप में पंजीकरण पांच वर्ष के लिए है । इस प्रकार यह अवधि लंबे समय तक कार्यवाहियां लंबित रखने में ही व्यतीत हो जायेंगी ।

यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 50 के अधीन कार्यवाहियों एवं कारण बताओ सूचनापत्र के विरूद्ध निगरानी ग्राह्य है । कारण बताओ सूचनापत्र संहिता की धारा 172 के अधीन जारी किया गया है, जबकि धारा 72 के उपबंधों का कोई उल्लंघन आवेदक द्वारा नहीं किया गया है । अपने तर्कों के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 1978 आर.एन. 393 (डी.बी.) तथा 1999 आर.एन. 67 उद्धरित किए हैं ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं

अभिलेख का अवलोकन किया । अनावेदक शासन की ओर से किया गया यह तर्क कि यह निगरानी ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि अभी प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । मेरे मत में यह तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि निगरानी न केवल अंतिम आदेश के विरूद्ध होती है बल्कि कार्यवाहियों एवं कारण बताओ सूचनापत्र के विरूद्ध भी होती है जैसाकि आवेदक की ओर से उद्धरित न्यायदृष्टांत 1978 आर.एन. 394 (खंडपीठ) एवं 1999 आर.एन. 67 में व्यवस्था दी गई है । इसके अतिरिक्त कारण बताओ सूचनापत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त सूचनापत्र संहिता की धारा 172 के अधीन भी जारी किया गया है इस कारण से तथा आवेदक अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायदृष्टांत 2012 आर. एन. 385 एवं 256 तथा 1999 आर.एन. 223 में दी गई व्यवस्था के प्रकाश में यह निगरानी इस न्यायालय में प्रचलन योग्य है । जहां तक प्रकरण के गुणदोषों का प्रश्न है अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने विवादित भूमि का आवासीय प्रयोजनों के लिए संहिता की धारा 172 के अधीन व्यपवर्तन कराया है और व्यपवर्तन आदेश के साथ नक्शा भी अनुमोदित कराया है । इस प्रकार संहिता की धारा 172 के अधीन व्यपवर्तन आदेश की किसी शर्त का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता । आवेदक का कालोनाईजर का पंजीकरण भी तथा भूमि पर आवासीय सुविधाओं से संबंधित विकास कार्य भी किया गया है । अतः कारण बताओ सूचनापत्र में लिया गया यह आधार कि अवैध व्यपवर्तन कर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है, सही नहीं माना जा सकता और ना ही पंचायत अधिनियम की धारा 61–ख, 61–ग एवं 61–घ का उल्लंघन होना माना जा सकता है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कालोनाईजर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 11–4–11 को पांच वर्ष की कालावधि के लिए जारी किया गया था, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सन् 2011 से लगभग 2 वर्ष तक और अब तक लगभग चार वर्ष से कार्यवाही लंबित है । आवेदक अपनी संपत्ति के उपभोग/उपयोग से वंचित हो रहा है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही, लंबित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

उपरोक्त विवेचनानुसार यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 7–1–11 तथा प्रकरण कमांक 32 / 10–11 / अ–13 में प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है । चूंकि प्रकरण कमांक निग0 1116–एक / 13 (अशोक कुमार सर्राफ विरूद्ध शासन आदि), निग0 1118–एक / 13 (कुंजबिहारी सर्राफ विरूद्ध शासन आदि), निग0 1119–एक / 13 (कुंजबिहारी सर्राफ सर्राफ विरूद्ध शासन आदि), निग0 1120–एक / 13 (सुशील कुमार सिसौदिया विरूद्ध शासन आदि) एवं प्र0क0 निग0 1121–एक / 13 (मुकेश कुमार विरूद्ध शासन आदि) के तथ्य भी इस प्रकरण के समान होने से यह आदेश इन प्रकरणों में भी लागू होगा । अतः इन प्रकरणों से संबंधित आलोच्य प्रकरण कमांक कमशः 6 / 11–12 / अ–13, 7 / 11–12 / अ–13, 27 / 10–11 / अ–13, 5 / 11–12 / अ–13 एवं प्र0क0 36 / 10–11 / अ–13 में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ सूचनापत्र एवं प्रचलित कार्यवाही भी समाप्त की जाती है और यह निगरानियां भी स्वीकार की जाती है ।

(एम. के. सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर